Date:- 14.11.2022

PRESS NOTE

प्रेस नोटः-(थाना चांदपुर)

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब भट्ठी का भंडाफोड करते हुए 55 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके पर करीब 300 लीटर लहन नष्ट।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध/कच्ची शराब की रोकथाम/निष्कर्षण एवं नशीले पदार्थों के निर्माण/क्रय/विक्रय/परिवहन आदि करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही करने तथा इस धंधे में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे **"नया सवेरा"** अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी, चांदपुर के नेतृत्व में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13/14.11.2022 की अर्द्धरात्रि में ग्राम बहमन शोरा से अपने ही घर में कच्ची शराब बनाने की भट्ठी लगाकर शराब का निष्कर्षण कर रहे अभियुक्त कलुआ पुत्र चेतराम नि0 ग्राम बहमनशोरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 55 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित के गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर करीब 300 लीटर लहन नष्ट किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 824/2022 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

कलुआ पुत्र चेतराम नि0 ग्राम बहमनशोरा उम्र 40 वर्ष थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः- 55 लीटर कच्ची शराब खाम (पाँच प्लास्टिक के ड्रम लहन से भरे हुये, एक प्लास्टिक बाल्टी लहन से भरी हुयी, एक प्लास्टिक की कैन लहन) एक स्टील तास, दो सिल्वर पतीला व एक सिल्वर फ्राईफेन और एक हीटर मय केवल, एक पीपा मिट्टी मय पाईप, गुड़, नशीली गोलियाँ व अन्य सामान तथा 300 लीटर लहन जो मौके पर नष्ट किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 824/2022 धारा 60(2) Ex Act व 272 भादवि थाना चांदपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 श्री नितेन्द्र सिंह, का0 राहुल कुमार, का0 असलम खान, का0 वीर प्रताप, म0कां0 राखी

थाना बढापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब भट्ठी का किया भंडाफोड करते हुए 280 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद, मौके पर करीब 3000 लीटर लहन नष्ट।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध/कच्ची शराब की रोकथाम/निर्माण एवं नशीले पदार्थों के निर्माण/क्रय/विक्रय/परिवहन आदि करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही करने तथा इस धंधे में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे **"नया सवेरा"** अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी, नगीना के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 13.11.2022 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुआंखेडा खदरी के जंगल से 04 रबर की टयूबो मे 280 ली0 कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये तथा मौके पर करीब 3000 ली0 लहन नष्ट किया गया। भट्ठी चलाकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे अभियुक्त सतनाम उर्फ सत्ती पुत्र बलवीर सिंह व सोनू पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गण ग्राम कुआंखेडा खदरी थाना बढापुर बिजनौर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गये। इस सम्बन्ध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 246/2022 धारा 60(2) आब0 अधि0 बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

फरार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.सतनाम उर्फ सत्ती पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम कुआखेडा खदरी थाना बढापुर बिजनौर

2.सोनू पुत्र सुखदेव सिंह निवासी ग्राम कुआखेडा खदरी थाना बढापुर बिजनौर

बरामदगी का विवरणः–

04 रबर की टयूबों मे 280 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण, लोहे का ड्रम, एल्यूमीनियम तथा रबर के पाईप, बाल्टी, मग आदि मौके पर 3000 ली0 लहन नष्ट

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सतनाम उर्फ सत्ती व सोनू उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0246/2022 धारा 60(2) आब0 अधि0 थाना बढापुर

2.मु0अ0सं0 465/05 धारा 304 भादवि थाना बढापुर

3.मु0अ0सं0266/13 धारा 354/506 भादवि थाना बढापुर

4. मु0अ0सं0213/18 धारा 60(2) आब0 अधि0 थाना बढापुर

5.मु0अ0सं0273/18 धारा 60(2) आब0 अधि0 थाना बढापुर

6.मु0अ0सं0 62/2019 धारा 60(2) आब0 अधि0 थाना बढापुर

7. मु0अ0सं0 181/2019 धारा 60(2) आब0 अधि0 थाना बढापुर

8. मु0अ0सं0 308/2019 धारा 323/324/504/0506 भादवि थाना बढापुर

9. म0अ0सं004/2020 धारा 60(2) आब0 अधि0 थाना बढापुर

10.मु0अ0सं0 61/2022 धारा 60(1) आब0 अधि0 थाना बढापुर

पुलिस टीम का विवरणः-

उ0नि0 श्री राजकुमार वर्मा, कां0 सेबरन सिंह, कां0 सुमित कुमार, का0 दीनदयाल, कां0 ललित कुमार

थाना नूरपुरः- आज दिनांक 14.11.2022 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1.नाजिम पुत्र मुला रफीक निवासी लंगड़े की पुलिया मोहल्ला असलतपुरा कस्बा व थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद को शहीद तिराहे से चांदपुर जाने वाले मार्ग से नाजायज असलाह एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिंदा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया व मुकदमा अपराध संख्या 551/22 धारा 3/25 (A) Act पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मंड़ावलीः- आज दिनांक 14.11.2022 को थाना मंड़ावली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1.शेर अली पुत्र रईस अहमद निवासी गांव राजपुर नवादा थाना मंडावली 2.मोहम्मद सैफ अली पुत्र रईस अहमद निवासी गांव राजपुर नवादा थाना मंडावली बिजनौर को धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना नहटौरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना नूरपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

<u>थाना मंडावलीः-</u> मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में #MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत #BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित #महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।